रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239724
SG-DL-E-18102022-239724

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/ आश्विन 25, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 298
No. 462]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944	[N. C. T. D. No. 298

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(दिल्ली सरकार के अधिनियम 2009 की संख्या 6 के अधीन स्थापित)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सं. फा. **डीटीयू/परिषद्/बीओएम–एसी/अधिसूचना/31/2018/1758.**—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा 32 की उप–धारा (1) (ए) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल ने अध्यादेश (चौथा), 2017 का अनुमोदन किया जो **"डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन"** से संबंधित है, अर्थातः–

अध्यादेश – 4

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ होने की तारीख

(क) इस अध्यादेश को **"डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन"** से संबंधित, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश (चौथा), 2017 कहा जाएगा।

(ख) यह अध्यादेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 **"आवेदक"** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करता है।

2.2 **"अनुमोदित अनुसंधान केंद्र"** का अर्थ है ऐसी अनुसंधान प्रयोगशाला/अनुसंधान केंद्र/अनुसंधान एवं विकास संगठन /शैक्षणिक संस्थान/स्कूल ऑफ स्टडीज/सेण्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च/उद्योग/सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए पूर्ण/आंशिक रूप अनुसंधान कार्य करने हेतु अनुसंधान केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है।

2.3 **"उम्मीदवार"** का अर्थ होगा पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत व्यक्ति, जिसने पाठ्यक्रम एवं व्यापक परीक्षा की आवश्यकता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, विनियमों के नियम 10 के अनुसार एक अनुमोदित शोध योजना जमा करा दी है।

2.4 **"देखभाल पर्यवेक्षक"** का अर्थ होगा पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में उम्मीदवार के अनुसंधान हितों की देखरेख करने के लिए नियुक्ति संकाय का एक सदस्य।

2.5 **"कोर्स वर्क"** (अर्थात पाठ्यचर्चा सम्बन्धी कार्य) का अर्थ होगा पर्यवेक्षक के परामर्श से विभाग द्वारा पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत विद्यार्थी द्वारा किया जाना है।

2.6 **"डीन–पीजी"** का अर्थ होगा, स्नातकोत्तर अध्ययन से सम्बंधित अधिष्ठाता।

2.7 **"डिग्री"** का अर्थ होगा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि।

2.8 **"डीआरसी"** का अर्थ होगा विभागीय अनुसंधान समिति। डीआरसी का गठन निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

2.9 **"शैक्षिक संस्थान"** का अर्थ उन महाविद्यालयों से होगा जो स्नातक या उच्चतर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

2.10 **"पूर्णकालिक शोध विद्यार्थी/उम्मीदवार"** का अर्थ होगा पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत व्यक्ति, जो डिग्री की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पूर्ण समय अध्ययनरत हो।

2.11 **"पूर्णकालिक प्रायोजित शोध विद्यार्थी/उम्मीदवार"** का अर्थ होगा सरकार या प्राइवेट अनुसंधान और विकास संगठन या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रायोजित व्यक्ति जो पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत हो और डिग्री की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पूर्ण समय अध्ययनरत हो। ऐसे उम्मीदवार को प्रायोजक संगठन/नियोक्ता से स्वीकार्य वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।

2.12 **"संयुक्त पर्यवेक्षक"** का अर्थ होगा डीआरसी की सिफारिश पर विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक, जो विद्यार्थी/उम्मीदवार के शोध कार्य सिद्धि में पर्यवेक्षक के साथ संयुक्त रूप से विद्यार्थी का मार्गदर्शन करेगा।

2.13 **"न्यूनतम पंजीकरण अवधि"** का अर्थ उस न्यूनतम अवधि से होगा जिसके लिए किसी उम्मीदवार को पंजीकृत होना चाहिए, जिसमें थीसिस प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार बनने के लिए विद्यार्थी के रूप में बिताया गया समय भी शामिल होगा।

2.14 **"अंशकालिक शोध विद्यार्थी/उम्मीदवार"** का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा, जो पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत है और जो अपना आंशिक समय इसे पूरा करने में और शेष समय अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए समर्पित करेगा।

2.15 **"पीएचडी समन्वयक"** का अर्थ होगा पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले की निगरानी और संचालन तथा शोध विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक संकाय सदस्य।

2.16 **"निर्धारित"** का अर्थ होगा जैसा कि विनियमों और विषय वस्तु से संबंधित दिशा–निर्देशों में निर्धारित है।

2.17 **"पंजीकरण अवधि"** का अर्थ होगा विश्वविद्यालय में पंजीकरण की तारीख से लेकर पाठ्यक्रम पूरा होने तक की समस्त अवधि।

2.18 **"रेजीडेंसी"** का अर्थ है वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए किसी विद्यार्थी/उम्मीदवार को पूर्णकालिक आधार पर विश्वविद्यालय में उपस्थित रहना चाहिए।

2.19 **"एसआरसी"** का अर्थ होगा विद्यार्थी अनुसंधान समिति। एसआरसी का गठन निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

2.20 **"विद्यार्थी"** का अर्थ होगा उम्मीदवार बनने से पहले पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत व्यक्ति।

2.21 **"पर्यवेक्षक"** का अर्थ होगा विद्यार्थी/अभ्यर्थी के शोध/अकादमिक कार्य का मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण करने के लिए डीआरसी की सिफारिश पर विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शैक्षिक संकाय का सदस्य।

2.22 **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्राय है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली।

3. पीएचडी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अध्यादेश

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्बंधित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/अध्ययन केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

3.1 पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता और अंकों का प्रतिशत/संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) विनियमों के अनुसार होना चाहिए।

3.2 पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत एक उम्मीदवार को विनियमों में निर्धारित न्यूनतम पंजीकरण अवधि की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

3.3 दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अनुमोदित पर्यवेक्षक(कों) के निर्देशन में अनुसंधान कार्य संचालित करने के लिए पंजीकृत किसी भी विद्यार्थी/उम्मीदवार को प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम निर्धारित ग्रेड प्राप्त करना होगा। विशेष परिस्थितियों में, किसी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक विद्यार्थी/उम्मीदवार को उसके अनुसंधान का भाग दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बाहर किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान/संगठन में पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु, ऐसे संस्थान में विश्वविद्यालय की संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

3.4 किसी भी उम्मीदवार को विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर डिग्री हासिल करने सम्बन्धी सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होगी।

3.5 पीएचडी स्कॉलर की चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमानुसार होगी।

3.6 प्रत्येक पीएचडी स्कॉलर को निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम कार्य पूरा करना होगा।

3.7 प्रत्येक पीएचडी स्कॉलर को निर्धारित नियमानुसार पर्यवेक्षक प्रदान किया जाएगा।

3.8 डीआरसी और एसआरसी का गठन निर्धारित नियमानुसार होगा।

3.9 व्यापक परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया और पीएचडी स्कॉलर की प्रगति की निगरानी निर्धारित नियमानुसार होगी।

3.10 पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन परीक्षकों के पैनल द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जाएगा।

3.11 पीएचडी कार्यक्रम शुल्क, पीएचडी स्कॉलर को अवकाश और अन्य प्रशासनिक मामले निर्धारित नियमानुसार निपटा, जाएंगे।

3.12 एक उम्मीदवार को विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

3.13 पंजीकरण की तारीख किसी विद्यार्थी के विभाग में प्रवेश की तारीख होगी। परन्तु, उसकी पीएचडी उम्मीदवारी की पुष्टि कोर्स वर्क, व्यापक परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने और एसआरसी द्वारा अनुसंधान योजना अनुमोदित करने के बाद की जाएगी। किसी भी विद्यार्थी/उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

3.14 किसी विद्यार्थी के लिए डिग्री का उम्मीदवार बनने हेतु, उसे विनियमों में वर्णित अपेक्षा पूरी करनी होगी और इसके लिए सम्बन्ध डीआरसी की अनुशंसा पर विद्वत परिषद् की मंजूरी आवश्यक होगी। परन्तु, पीएचडी उम्मीदवार की पुष्टि की तारीख एसआरसी द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख समझी जाएगी।

3.15 एक पूर्णकालिक उम्मीदवार को निर्धारित तरीके से अपने पंजीकरण को अंशकालिक में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.16 यदि कोई विद्यार्थी/उम्मीदवार पीएचडी पाठ्यक्रम से हट जाता है, अथवा उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है, तो उस विद्यार्थी/उम्मीदवार का दर्जा समाप्त हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवार का पुनः दाखिला होने की स्थिति में उसे डीआरसी की अनुशंसा पर पिछले पंजीकरण के दौरान अर्जित अंकों के लिए वरीयता दी जा सकती है, परन्तु, अनुशासनात्मक आधार पर उम्मीदवारी समाप्त किए जाने के मामले में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

3.17 सफल उम्मीदवारों को पीएचडी उपाधि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विनियमों के तहत प्रदान की जाएगी।

3.18 अधिनियम और कानूनों और इन अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, इन अध्यादेशों में शामिल नहीं किए गए मुद्दे या व्याख्या के मतभेदों की स्थिति में, कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अधिष्ठाता अथवा सभी अधिष्ठाताओं की समिति की राय लेने के बाद निर्णय ले सकते हैं। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

3.19 विशेष परिस्थितियों में, कुलपति, प्रबंधक मंडल की ओर से, किसी अध्यादेश के संशोधन, परिवर्तन, प्रविष्टि या विलोपन को मंजूरी दे सकते हैं, जो किसी पाठ्यक्रम के सुचारू रूप से चलने के लिए उनकी नजरों में आवश्यक या उपयोगी हो, परन्तु ऐसे सभी परिवर्तनों को अनुसमर्थन के लिए प्रबंधक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल
के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रो. मधुसूदन सिंह, कुलसचिव

DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

(Established under Govt. of Delhi Act 6 of 2009)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd September, 2022

No. F. DTU/Council/BOM-AC/Notification/31/2018/1758.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with sub-section (1)(a) of Section 32 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Board of Management, Delhi Technological University, hereby makes Ordinance (Fourth), 2017 relating to "Admission to Courses of Study, Conduct and Evaluation of Examinations for Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Programs".

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Ordinance may be called the Delhi Technological University Ordinance (Fourth), 2017 relating to "Admission to Courses of Study, Conduct and Evaluation of Examinations for Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Programs".

1.2 This ordinance shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

2.1 **"Applicant"** shall mean an individual who applies for admission to the Ph.D. program of the Delhi Technological University on the prescribed application form.

2.2 **"Approved Research Centre"** shall mean a research laboratory/research centre/ R&D organization /Academic Institute/ School of Studies/ Centre for Advanced Studies and Research/ Industry/ Government Department/ Public Sector Undertakings approved as a research centre by the University for carrying out wholly/ partly research work leading to the degree of Doctor of Philosophy of the University.

2.3 **"Candidate"** shall mean a person registered for the Ph.D. Degree and who has successfully completed the course requirement, the comprehensive examination and submitted an approved research plan in a manner as prescribed in Rule 10.

2.4 **"Caretaker Supervisor"** shall mean a member of the academic staff appointed to look after the candidate's research interests in the absence of the Supervisor.

2.5 **"Course Work"** shall mean courses of study prescribed by the Department in consultation with the supervisor to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree.

2.6 **"Dean-PG"** shall mean the Dean, Post Graduate Studies.

2.7 **"Degree"** shall mean the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of the Delhi Technological University.

2.8 **"DRC"** shall mean Departmental Research Committee. The constitution of DRC shall be in a manner as prescribed.

2.9 **"Educational Institutions"** shall mean those colleges which offer Bachelor's Degree or higher.

2.10 **"Full-time Research Student/Candidate"** shall mean a person registered for the Ph.D. Degree devoting full time for completing the degree requirements.

2.11 **"Full-time Sponsored Research Student/Candidate"** shall mean a person sponsored by Government or Private R&D organization or Educational Institution of repute registered for the Ph.D. Degree devoting full time for completing the degree requirements. Such candidate shall receive his salary and allowances as admissible from the sponsoring organization/employer.

2.12 **"Joint Supervisor"** shall mean an additional supervisor approved by the Academic Council on the recommendation of DRC to guide the student jointly with supervisor in the accomplishment of the research work of the student/candidate.

2.13 **"Minimum Registration Period"** shall mean the minimum period for which a candidate must be registered, including the time spent as student before becoming a candidate, prior to submission of the thesis.

2.14 **"Part-time Research Student/Candidate"** shall mean a person who is registered for the Ph.D. degree and will devote part of his time towards this pursuit and devote part of his time towards the discharge of his official obligations.

2.15 **"Ph.D. Coordinator"** shall mean a faculty member of Delhi Technological University appointed by Vice Chancellor, to supervise and conduct the admissions to Ph.D. program and register the research students.

2.16 **"Prescribed"** shall mean as prescribed in the Regulations and Guidelines related to subject matter.

2.17 **"Registration Period"** shall mean the length of time span commencing with the date of registration at the University till the completion of the program.

2.18 **"Residency"** shall mean the minimum period for which a student/candidate must attend the University on full-time basis.

2.19 **"SRC"** shall mean Student Research Committee. The constitution of SRC shall be in a manner as prescribed.

2.20 **"Student"** shall mean a person registered for the Ph.D. degree prior to becoming a candidate.

2.21 **"Supervisor"** shall mean a member of the academic staff of the Delhi Technological University approved by Academic Council on the recommendation of DRC to guide/supervise the research/academic work of the student/candidate.

2.22 **"University"** shall mean Delhi Technological University, Delhi.

***Note** : 'He' and 'His' imply 'he'/'she' and 'his'/'her' respectively.*

3. Ordinance for Ph.D. Degree Program

The program leading to degree of **Doctor of Philosophy** shall be conducted through the Departments/School of Studies of the University.

3.1 The minimum qualification and percentage of marks/cumulative grade point average (CGPA) for the admission to Ph.D. program shall be as per the regulations.

3.2 A candidate registered for the Ph.D. program shall be required to satisfy a minimum registration period requirement as laid-down in the Regulations.

3.3 A student/candidate shall be required to earn prescribed minimum Grade as prescribed in the regulations in each course registered to carry out his research work at the Delhi Technological University, under the guidance of approved supervisor(s). In special circumstances, a full-time or part-time student/candidate may be permitted by the Academic Council of the University to carry out part of his research outside the Delhi Technological University in a reputed Educational Institution/ Organization provided adequate research facilities are available there to the satisfaction of the University.

3.4 A candidate will be required to complete all requirements for the award of the degree within a period specified in the Regulations.

3.5 Selection procedure of Ph.D. scholar shall be as prescribed.

3.6 Each Ph.D. scholar has to complete minimum course work as prescribed.

3.7 Each Ph.D. scholar shall be provided supervisor(s) as prescribed.

3.8 Constitution of DRC and SRC shall be as prescribed.

3.9 Procedure of conduct of comprehensive examination and monitoring of progress of Ph.D. scholar shall be as prescribed.

3.10 Evaluation of Ph.D. thesis shall be carried out by the panel of examiners as prescribed.

3.11 Ph.D. program fee, leaves to Ph.D. scholars and other administrative matter shall be dealt as prescribed.

3.12 A candidate will be required to complete all requirements for the award of the degree within a period specified in the Regulations.

3.13 The date of registration shall be the date on which a student joins the department. However, his Ph.D. candidacy will be confirmed after successful completion of course work, comprehensive examination and approval of research plan by SRC. It will be mandatory for a student/candidate to register in each semester on the prescribed form as per the regulations.

3.14 For a student to become a candidate of the degree, he shall have to satisfy the requirement laid down in the Regulations and be accepted by the Academic Council on the recommendation of the respective DRC. However, the confirmation date for the Ph.D. candidacy will be the date on which his research proposal was approved by SRC.

3.15 A full-time candidate may be allowed to convert his registration into part time in a manner as prescribed.

3.16 If a student/candidate withdraws from his Ph.D. program or his registration is terminated, his student/candidate status shall cease. If such a candidate is re- admitted, he may be given weightage to the credits acquired during the previous registration on the recommendation of the DRC except in the case of termination on disciplinary grounds.

3.17 The award of the Ph.D. degree to a successful candidate shall be made in accordance with the Regulations of the Delhi Technological University.

3.18 Subject to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances, the issues not covered in this Ordinances or in the event of differences of interpretation, the Vice Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion of a Committee consisting of any or all the Deans of the University. The decision of the Vice Chancellor shall be final.

3.19 In special circumstances, the Vice Chancellor may, on behalf of the Board of Management, approve amendment, modification, insertion or deletion of an Ordinance(s), which in his opinion is necessary or expedient for the smooth functioning of a program, provided that all such changes shall be reported to the Board of Management in its next meeting for ratification.

By Order and in the Name of Board of Management of
Delhi Technological University,

Prof. MADHUSUDAN SING, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.18 19:09:10 +05'30'